

न्यायालय जिला न्यायाधीश, धौलपुर।

कृष्ण कुमार बनाम राज. सरकार
इजराय सं. 07 / 2001

दिनांक 13.01.2026

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मदयून की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी अभियंता उपस्थित। श्री सौरभ शर्मा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह मोखिक रूप से यह अण्डरटेकिंग दी कि इस प्रकरण में बकाया राशि 23,34,491/-रुपये की राशि एक माह के अन्दर न्यायालय में जमा करा दी जावेगी तब तक उन्हें राशि जमा कराने हेतु समय दिया जावे।

अतः राशि जमा कराये जाने हेतु एक माह का समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 13.02.2026 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज०)

Sanjay Stamps
13.01.2026

13/1/26 / 15 दिनांक के अन्तर्गत उपस्थित होकर श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी अभियंता उपस्थित करके पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से राशि 23,34,491/- रुपये की राशि एक माह के अन्दर न्यायालय में जमा करा दी जावेगी तब तक उन्हें राशि जमा कराने हेतु समय दिया जावे।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज०)